राजस्थान–सरकार
कार्यालयः–सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग धौलपुर
सिटी जुबली हॉल के पास, नगर परिषद रोड, धौलपुर
@ dholpur.we@rajasthan.gov.in ☎ 05642–223349

क्रमाक / मअवि / एसएससके / 2024–25 / 1557 दिनांकः– 29.08.2024

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2023–24 की बजट घोषणा संख्या 325 की पालना में धौलपुर जिले में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जिला धौलपुर के पुलिस थाना बाड़ी, मनियां, सरमथुरा एवं सैपऊ थाने में संचालित किया जाना है। इस हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना संशोधित) 2017 के नियम 6 व 7 एवं शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर के संशोधित आदेश दिनांक 26.08.2019 के बिन्दु 12(2) में वर्णित प्रावधान अनुसार पात्रताधारी गैर शासकीय संस्थाओं से प्रस्ताव पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

प्रत्येक केन्द्र के लिए पृथक–पृथक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.09.2024 समय सायः 5.00 बजे तक जिले के सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग सिटी जुबली हॉल के पास, धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है, जिसका प्रारूप, पात्रता की शर्ते तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है अथवा आवेदन प्रत्र आदि इस कार्यालय से भी प्राप्त किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, धौलपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

(विश्व देव)
सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
धौलपुर (राज0)

क्रमाक / मअवि / एसएससके / 2024–25 / 1558–1563 दिनांकः– 29.08.2024

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान आयुक्त महोदय निदेशालय महिला अधिकारिता राज0 जयपुर।
2. श्रीमान ज़िला कलक्टर महोदय धौलपुर।
3. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर।
4. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद धौलपुर।
5. प्रोग्रामर, निदेशालय, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
6. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा

सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता विभाग
धौलपुर (राज0

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र जिला–धौलपुर

आवेदन प्रपत्र

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)–2017, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 26.08.2019 के नियम 6 एवं 7 के अंतर्गत)

श्रीमान सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता धौलपुर (राज0)

विषयः– धौलपुर जिले के पुलिस सर्किल..................के पुलिस थाना ....के थाना भवन पर स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह के संचालन हेतु आवेदन बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था धौलपुर जिले के पुलिस सर्किल..................के पुलिस थाना ....के थाना भवन पर स्वीकृत महिला सुरक्षा एवं सलाह के संचालन करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार से है–

(क) संस्था का परिचय

संस्था का नाम		पृष्ठ संख्या
रजिस्ट्रेशन अधिनियम एवं संख्या	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का संविधान	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था की कार्य कारिणी	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का पैन नम्बर	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का जीएसटी नम्बर	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र में पंजीयन	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 में पंजीयन	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
संस्था का कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में पंजीयन	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
टेलीफोन व मोबाईल नम्बर		
फैक्स		
ई–मेल, यदि हो		
वेबसाइट, यदि हो		

(ख) स्थानीय कार्यालय/स्थानीय प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण

स्थानीय कार्यालय/स्थानीय प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण		पृष्ठ संख्या
स्थानीय कार्यालय/स्थानीय प्राधिकृत व्यक्ति का नाम मय पूर्ण पता		
स्थानीय प्राधिकृत व्यक्ति के संबंध में उक्त व्यक्ति को समस्त कार्यो हेतु अधिकृत करने के प्राधिकार पत्र की प्रति	प्रमाणित प्रति संलग्न करें	
टेलीफोन व मोबाईल नम्बर		
ई-मेल, यदि हो		

(ग) संस्था के कार्य एवं अनुभव

संस्था का कार्यक्षेत्र		पृष्ठ संख्या
संस्था के मूल उद्देश्य	प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण	संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण	संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण	संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
क्या संस्था को व्यथित महिलाओं की सलाह और मार्गदर्शन आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हां तो कब से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण	संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर ब्लेक लिस्टेड संस्था ना होने का शपथ-पत्र	संलग्न करें	
घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के क्षेत्र में कार्य का विवरण	संक्षिप्त विवरण सहित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	

नोटः-विस्तृत सूचना के लिए बिन्दुवार अलग से शीट संलग्न की जा सकती है।

(घ) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था

<table>
<tr>
<td>संस्था में कार्मिकों की कुल संख्या व विवरण प्रपत्र में प्रस्तुत करें</td>
<td colspan="2">
<table>
<tr><td>क्र.स</td><td>नाम</td><td>पद</td><td>शैक्षणिक योग्यता</td><td>अनुभव</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr>
</table>
उक्त सूचना के अलग से सीट संलग्न कर पृष्ठ संख्या अंकित करें।
</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की गत तीन वर्ष का टर्न ओवर एवं वर्ष 2021–22 ,2022–23 एवं 2023–24 की ऑडिट रिपोर्ट (सीए द्वारा प्रमाणित)</td>
<td>(सीए द्वारा प्रमाणित) संलग्न करें</td>
<td>पृष्ठ संख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था के आय के स्त्रोत एवं व्यय का विवरण</td>
<td>स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें</td>
<td>पृष्ठ संख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की गत तीन वर्ष 2021–22 ,2022–23 एवं 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट</td>
<td>स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें</td>
<td>पृष्ठ संख्या</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य विवरण जो देना चाहे</td>
<td></td>
<td>पृष्ठ संख्या</td>
</tr>
</table>

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि..(संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाऐं, जहा तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते है कि महिला सुरक्षा एव सलाह केन्द्र के नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधन)–2017 में दी गई शर्तो एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा दिय गए निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोष जनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेगी।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

नाम

पता/टेलीफोन न.

हस्ताक्षर (सचिव)

नाम

पता/टेलीफोन न.

स्थान

दिनांकः

D:\MyData\Downloads\Tender mssk 2024 (1).docx

पात्रता हेतु शर्ते

- महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना अधिसूचना (संशोधित) 2017 एव शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदे ा दिनांक 26.08.2019 के नियम 6 के अनुसरण में के अंतर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निम्नानुसार है–

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 12 AA में अथवा राजस्थान लोकन्यास अधिनियम, 1959 (1959 का 42) ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहियें।
3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास /सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हों।

अन्य शर्ते :–

1. जो राशि अनावर्तक मद में स्वीकृत की जायेगी उसका उपयोग संस्था स्थाई सामान कम्प्यूटर, प्रिंटर, आदि में व्यय करेंगे। क्रय किये गये सामान की सूची सहायक निदेशक महिला अधिकारिता एवं थाना प्रभारी को दी जायेगी। यदि किसी कारण वश चयनित संस्था केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है तो क्रय किये समस्त सामान थाना प्रभारी को संभालाया जायेगा। जिसका उपयोग अन्य चयनित संस्था द्वारा किया जायेगा।
2. चयनित संस्था महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन अनुदान योजना (संशोधित) 2017 एवं उसके अनुक्रम में जारी दिशा निर्देश के अनुसार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, एवं कार्यालय सहायक निदेशक महिला अधिकारिता द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में केन्द्र का संचालन करेगी।
3. महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के समस्त प्रकरणों का न्यायिक क्षेत्र धौलपुर रहेगा।
4. प्रथम परामर्शदाता का समाज शास्त्र/मनोविज्ञान/सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर एवं द्वितीय परार्शदाता का विधि स्नातक होना अनिवार्य है।
5. जिला स्तरीय महिला समाधान समिति की बैठक दिनांक 09.08.2024 के अनुसार संस्था को काउंसलरों का पीएफ एवं ईएसआई की कटौतियां/अंशदान जमा कराया जाना आवश्यक होगा, जिसके चालान जमा कराने के साक्ष्य की प्रति प्रति माह कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. विभागीय निर्देशानुसार प्रत्येक कांउसलर को भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में किया जावेगा।प्रतिमाह बैंक खाते में किये गए भुगतान की रसीद कार्यालय में प्रति माह प्रस्तुत करनां अनिवार्य है।

7. संस्था द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु अनुबन्ध संपादित करने के 6 माह के अन्दर महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवाप्रदाता के रूप में पंजीयन कराना आवश्यक व अनिवार्य होगा। ऐसा नही करने पर संस्था के साथ निष्पादित अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
8. संस्था का स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन होना आवश्यक है।
9. यदि संस्था अपनी प्रकृति के अनुसार यदि जीएसटी पंजीयन में छूट चाहती है, तो इस के लिए शपथपत्र मय वैध दिशा–निर्देश, दस्तावेजी साक्ष्य आदि के साथ संलग्न करने होंगे, अन्यथा छूट का लाभ देय नहीं होगा। इस संबंध में जिला स्तरीय महिला समाधान समिति का निर्णय अंतिम होगा।
10. कार्मिकों को भुगतान, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रम विधियों एवं नियमों आदि की पालना, सभी प्रकार के करों, पीएफ, ईएसआई आदि को जमा कराए जाने का समस्त दायित्व संस्था का होगा।इसमें असफल रहने पर या अन्य कोई गडबडी की स्थिति में विभाग या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
11. प्रत्येक थाने/केन्द्र हेतु पृथक्–पृथक् आवेदन करना होगा एवं प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन पत्र में वर्णित सभी दस्तावेज संलग्न करने आवश्यक होंगे।
12. आवेदन पत्र एवं उसके साथ संलग्न प्रत्येक स्वप्रमाणित दस्तावेज पर आवेदक को हस्ताक्षर करने होंगे।आवेदकों को संलग्न दस्तावेजो की पृष्ठ संख्या का अंकन समुचित प्रकार से करने की सलाह दी जाती है, जिसके अभाव में किसी दस्तावेज के गुम हो जाने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
13. केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं का चयन विभागीय निर्देशों की पालना में जिला स्तरीय महिला समाधान समिति द्वारा किसी या किन्ही भी उचित आधार, जो वह उपयुक्त समझे, के आधार पर किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
14. उपर्युक्त सभी शर्तें मैने ध्यान पूर्वक पढली है एवं मैं उनकी पालना करने के लिए बाध्य हूं।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)
नाम
पता/टेलीफोन न.
स्थान
दिनांकः

हस्ताक्षर (सचिव)
नाम
पता/टेलीफोन न.